रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-12082024-256277
CG-HR-E-12082024-256277

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 602]	नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 2024/श्रावण 16, 1946
No. 602]	NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2024/SHRAVANA 16, 1946

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान

अधिसूचना

हरियाणा, 1 अगस्त, 2024

फा. सं. I-11018/1/2023-ID.—राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान-कुंडली अधिनियम, 2021 (2021 का 19), की धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन अध्यादेशों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान-कुंडली, हरियाणा शैक्षणिक अध्यादेश 2024 है।

   (2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ- (1) इन अध्यादेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-,

   (क) "अकादमिक" से शिक्षण और अनुसंधान से संबंधित क्रियाकलाप अभिप्रेत है;

   (ख) "अधिनियम" से राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान-कुंडली अधिनियम, 2021 (2021 का 19) अभिप्रेत है;

   (ग) “अनुमोदित’’ से सीनेट द्वारा उपबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रयोग करके समुचित निकाय द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम अभिप्रेत है;

   (घ) "कैलेंडर" से विभिन्न अकादमिक क्रियाकलापों की तारीखें अभिप्रेत है;

   (ङ) "केंद्र" से विनिर्दिष्ट अनुसंधान क्रियाकलापों में लगी इकाई अभिप्रेत है;

(च) "व्यापक" से किसी पीएच.डी. छात्र का अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए उसकी तैयारी का आकलन करने हेतु उसका लिखित या मौखिक या दोनों मूल्यांकन, पीएच.डी. अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु अपेक्षा अभिप्रेत है;

(छ) "पाठ्यक्रम" से किसी सेमेस्टर के दौरान समाविष्ट विषयों का अनुक्रम अभिप्रेत है;

(ज) "साख" से पाठ्यक्रम का अनुमोदित महत्त्व, जो किसी विद्यार्थी से अपेक्षित प्रयास पर आधारित होता है अभिप्रेत है;

(झ) "प्रोग्राम के पाठ्यक्रम" से पाठ्यक्रमों और अन्य शैक्षिक क्रियाकलापों का समुच्चय अभिप्रेत है;

(ञ) "विभाग" में समान अकादमिक अभिरुचि का अनुसरण करने वाले अकादमिक कर्मचारिवृन्दों का एक समूह समाविष्ट है।

(ट) "सेमेस्टर समाप्ति" से विहित तारिखों के दौरान किसी सेमेस्टर के अंत में आयोजित परीक्षा अभिप्रेत है;

(ठ) "अन्तरविषयक कार्यक्रम" से ऐसा शैक्षणिक कार्यक्रम अभिप्रेत है जिसमें एक से अधिक विभाग या स्कूल या केंद्र अन्तर्वलित हैं;

(ड) "मध्य सेमेस्टर" से सेमेस्टर के दौरान आयोजित परीक्षा अभिप्रेत है;

(ढ) "छूटी हुई परीक्षा" से ऐसा छात्र अभिप्रेत है जो निर्धारित परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ है;

(ण) "प्रोग्राम" से शैक्षणिक क्रियाकलापों का क्रम अभिप्रेत है जिसका परिणाम डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करना है;

(त) "रजिस्ट्रीकरण" से उन पाठ्यक्रमों या शोध का नामांकन अभिप्रेत है जिसे कोई छात्र किसी सेमेस्टर के दौरान करना चाहता है जैसा छात्र के कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित हो;

(थ) "सत्र" से ग्रीष्मकालीन अवधि के साथ-साथ दो नियमित सेमेस्टर अभिप्रेत है; और

(द) "छात्र" से संस्थान की नामावली में शामिल वास्तविक छात्र अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होगा जो उनका इस अधिनियम में है।

3. शैक्षिक कार्यक्रम-(1) शैक्षिक डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम निम्नानुसार होंगें,अर्थात -

(i) खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कारोबार प्रबंधन, संबद्ध विज्ञान तथा उद्यमिता के क्षेत्र में विद्या में उन्नति और ज्ञान के प्रसार पर फोकस;

(ii) प्रत्येक शैक्षणिक विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वह कम से कम एक शैक्षणिक कार्यक्रम और अन्तरविषयक कार्यक्रम चलाए जो अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन स्कूलों और केंद्रों द्वारा प्रस्तावित किए जाएं और इन अध्यादेशों के अधीन संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम समय-समय पर सीनेट द्वारा निर्धारित विशिष्ट कार्यक्रम के अनुसार होंगा;

(iii) सीनेट, अधिनियम और परिनियमों के अनुसार इसकी व्यवहार्यता और वांछनीयता की दृष्टि से विद्यमान कार्यक्रम के संशोधन या एक नए कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए प्रत्येक प्रस्ताव की समीक्षा करने के पश्चात संस्थान के शासी बोर्ड को अनुमोदन के लिए उपयुक्त सिफारिशें करेगा;

(iv) प्रत्येक विनिर्दिष्ट कार्यक्रम संस्थान के प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया, अनुज्ञेय प्रवेश, पात्रता मानदंड या कोई अन्य उपयुक्त ब्यौरे विहित करेगा;

(v) संस्थान में प्रत्येक कार्यक्रम की पाठ्यचर्या के लिए सीनेट के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी और किसी भी विद्यमान कार्यक्रम की अनुमोदित पाठ्यचर्या में किसी परिवर्तन के लिए सीनेट के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी;

(vi) सीनेट, कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद किसी छात्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्येक डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के प्रपत्र का अनुमोदन करेगा और डिग्री या डिप्लोमा के प्रपत्र में कोई भी संशोधन सीनेट के अनुमोदन के पश्चात ही किया जाएगा;

(vii) मानद डॉक्टरेट की उपाधि या संस्थान की सम्मानार्थ उपाधि का प्रदान किया जाना संस्थान के डॉक्टरेट उपाधि के लिए दिशानिर्देशो के अनुसार होगा।

4. प्रवेश:- (1) संस्थान में अध्ययन के प्रत्येक अनुमोदित पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा, जिसका मूल्यांकन सीनेट द्वारा यथा अनुमोदित पारदर्शी और युक्तियुक्त मानदंडों के माध्यम से किया जाएगा, जो संबंधित पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के विस्तार और प्रकृति को ध्यान में रखेगा और प्रत्येक वर्ष प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने से पहले संस्थान एक विवरणिका या

प्रवेश पुस्तिका के माध्यम से इसका प्रकटन करेगा ,और जब तक अन्यथा आवश्यक न हो, राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए मानदंड होगी।

2. ऊपर विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार योग्यता के अतिरिक्त, समूह-चर्चा या व्यक्तिगत-साक्षात्कार या दोनों, योग्यता के साथ-साथ आयोजित किए जा सकते हैं, जैसा सीनेट द्वारा विनिश्चय किया जाए।

3. संस्थान के किसी भी अनुमोदित कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या, मानव संसाधन की आवश्यकता और संस्थान द्वारा सुनिश्चित किए गए संसाधनों के बारे में अनुमानों को ध्यान मे रखते हुए समय-समय पर सीनेट द्वारा विनिश्चित की जाएगी और संस्थान, भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन करेगा।

4. सभी प्रवर्गों के छात्रों के लिए प्रवेश संबंधी अपेक्षाएं और प्रक्रियाएँ सीनेट द्वारा यथा अधिकथित होंगी।

5. प्रत्येक छात्र, जिसेसंस्थान के किसी भी कार्यक्रम में अस्थायी रूप से या अन्यथा प्रवेश दिया गया है,नियत तारीख तक उचित सत्यापन के लिए अर्हक डिग्री या डिप्लोमा या अनंतिम प्रमाण पत्र और सीनेट द्वारा यथा विहित ऐसे अन्य दस्तावेजों की प्रतियां, वास्तविक या डिजिटल रूप से प्रस्तुत करेगा।

6. किसी भी छात्र, जो उपरोक्त नियत तारीख तक अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है या प्रवेश के लिए किसी अन्य नियत अपेक्षा को पूरा करने में विफल रहता है, का प्रवेश, अनंतिम या अन्यथा, सीनेट द्वारा रद्द किया जा सकता है।

7. संस्थान को आत्मनिर्भरता और संधारणीयता के लिए निधियां जुटाने का प्रयास करने का अधिदेश दिया जाएगा।

8. यह देखना संस्थान की उत्तरदायित्व होगी कि शैक्षणिक कार्यक्रम में प्रवेश स्वीकृत प्रवेश संख्या के अनुसार हो और समाज के वंचित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें इन अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन भरी जाएं।

9. किसी भी छात्र का प्रवेश सीनेट द्वारा बाद में किसी भी समय रद्द भी किया जा सकता है, यदि यह पाया जाता है कि छात्र ने प्रवेश लेते समय कुछ मिथ्या जानकारी दी थी या कुछ प्रासंगिक जानकारी छिपाई थी।

5. बैचलर डिग्री कार्यक्रम- (1) बैचलर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश वर्ष में एक बार दिया जाएगा।

(2) बैचलर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश दिए जाने वाले विदेशी नागरिकों या अनिवासी भारतीयों या भारतीय मूल के व्यक्तियों की संख्या कार्यक्रम में अधिकथित उपबंधों के अनुसार निर्धारित की जाएगी;

(3) बैचलर डिग्री कार्यक्रम में, छात्रों को केवल कार्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा, किन्तु सीनेट बहु-प्रवेश और बहु-निकास विकल्पों के साथ पार्श्व प्रवेशों के लिए उपबंध कर सकता है।

(4) यदि छात्र, कार्यक्रम को पूरा किए बिना बीच में ही छोड़ देता हैं, तो वे उचित प्रमाणपत्र या कोई अन्य उचित अवार्ड प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

(5) दोहरी डिग्री कार्यक्रमों और एकीकृत कार्यक्रमों को छोड़कर सभी बैचलर डिग्री कार्यक्रम चार वर्ष की अवधि के होंगे।

(6) सीनेट सीमित संख्या में छात्रों को स्थानों की उपलब्धता या इच्छुक व्यक्ति की रुचि या छात्र की शैक्षणिक प्रगति के अनुसार अपने अध्ययन के कार्यक्रम को बदलने की अनुमति दे सकता है।

(7) बैचलर डिग्री कार्यक्रम में छात्र, उन उपबंधों के अनुसार जो सीनेट द्वारा अधिकथित किए जाएंगे, एकीकृत दोहरी डिग्री कार्यक्रम या डबल-मेजर या अतिरिक्त माइनर डिग्री के लिए योग्यता के आधार पर पात्र होंगे।

6. स्नातकोत्तर कार्यक्रम- (1) स्नातकोत्तर कार्यक्रम, स्नातकोत्तर डिप्लोमा या स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और कार्यकारी मास्टर डिग्री कार्यक्रम सहित स्नातकोत्तर कार्यक्रम, मास्टर और डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता अपेक्षाएं और आवृत्ति, सीनेट द्वारा विनिश्चित की जाएंगी, बशर्ते, कार्यकारी मास्टर डिग्री कार्यक्रम कामकाजी वृत्तिकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेंगे;

(2) अपनी अर्हक डिग्री के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे अभ्यार्थियों पर स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अनंतिम प्रवेश के लिए विचार किया जा सकता है, परंतु वे सीनेट द्वारा विहित अन्य सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

(3) स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का प्रस्ताव करने वाले विभाग, स्कूल या केंद्र स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीनेट द्वारा नियत न्यूनतम प्रवेश अपेक्षाओं के अलावा अतिरिक्त अपेक्षाएं निर्धारित कर सकते हैं।

7. शैक्षणिक कैलेंडर.- (1) शैक्षणिक कैलेंडर एक शैक्षणिक सत्र के लिए' शैक्षणिक पाठ्यक्रमों' और 'अध्ययन कार्यक्रमों' से संबंधित शैक्षणिक क्रियाकपालों की अनुसूची होगी।

(2) किसी शैक्षणिक सत्र में शैक्षणिक कार्यक्रम के कैलेंडर में निम्नलिखित में से कोई एक प्रणाली होगी,अर्थात:-

(क) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली और एक नियमित सेमेस्टर में ग्रीष्मकालीन अवधियाब्रेक के बाद मध्य अवधि या दोनों सहित दो सेमेस्टर होंगे;

(ख) सेमेस्टर प्रणाली में एक शैक्षणिक वर्ष में मध्य सेमेस्टर ब्रेक यदि कोई हो,के अलावा दो नियमित सेमेस्टर होंगे और एक वैकल्पिक ग्रीष्मकालीन सत्र होगा, और प्रत्येक नियमित सेमेस्टर सामान्यतया परीक्षा अवधि सहित लगभग उन्नीस सप्ताह का होगा;

(ग) त्रैमासिक प्रणाली में किसी शैक्षणिक वर्ष में मध्यावधि अवकाश यदि कोई हो, के अलावा तीन नियमित सत्र और एक वैकल्पिक ग्रीष्म सत्र होगा और प्रत्येक नियमित त्रैमासिक सत्र सामान्यतया परीक्षा अवधि सहित लगभग तेरह कार्य सप्ताह का होगा;

(घ) शैक्षणिक सत्र के दौरान विहित महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रमों की सुनिश्चित तारीखें शैक्षणिककैलेंडर में विनिर्दिष्ट की जाएंगी;

(ङ) शैक्षणिक कैलेंडर, या सत्र के दौरान उसमें कोई भी परिवर्तन, संस्थान के निदेशक द्वारा अनुमोदितकिया जाएगा।

8. रजिस्ट्रीकरण-(1) सीनेट छात्रों के रजिस्ट्रीकरण के लिए मानदंड अधिकथित करेगा और वे, संस्थान में अध्ययन के प्रत्येक कार्यक्रम से संबंधित,शैक्षणिक विनियम,होंगे ,पृथक-पृथक, जो संस्थान के वैबसाइट पर उपलब्ध कराये जाएगे और रजिस्ट्रीकरण में निम्नलिखित चरण होंगे, अर्थात्:-

(क) प्रत्येक सेमेस्टर या त्रैमासिक (त्रिमेस्टर) के प्रारंभ होने से पहले, प्रत्येक छात्र, जब तक कि सीनेट द्वारा अन्यथा छूट न दी गई हो, शैक्षणिक कैलेंडर में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण तारीख को उस सेमेस्टर के दौरान अध्ययन किए जाने वाले विहित पाठ्य क्रमों के लिए रजिस्टर करेगा;

(ख) प्रत्येक सेमेस्टर या त्रैमासिक (त्रिमेस्टर) के लिए फीस रजिस्ट्रीकरण के लिए एक पूर्व -अपेक्षा होगी जिसके लिए संस्थान ऐसे संदायों के प्रकार को पहले से ही सूचित करेगा और किसी भी अतिशेष देय का संदाय रजिस्ट्रीकरण से पहले किया जाएगा।

(2) वास्तविक कारणों से, विलंब शुल्क आदि के संदाय पर शैक्षणिक कैलेंडर में इस प्रकार विहित तारीख को सेमेस्टर या त्रैमासिक (त्रिमेस्टर) में विलंब से रजिस्टर करने की अनुमति दी जा सकती है।

(3) सीनेट द्वारा अधिकथित सन्नियमों के अनुसार, किसी भी छात्र का रजिस्ट्रीकरण सेमेस्टर या त्रैमासिक के दौरान आंशिकतः या पूर्ण रूप से रद्द या बदला जा सकता है।

(4) किसी छात्र को पाठ्य क्रम में लेटर ग्रेड तभी प्रदान किया जाएगा जब सीनेट द्वारा यथा अधिकथित लेटर ग्रेड के प्रदान किये जाने के समय छात्र पाठ्य क्रम में विधिवत पंजीकृत हो।

9. अनुपस्थिति की अनुमति - (1) अध्ययन के दौरान अनुपस्थिति के लिए सभी रजिस्ट्रीकृत छात्रों को निरुत्साहित किया जाएगा, परंतु वास्तविक कारणों से, किसी छात्र को ऐसी अनुपस्थिति के लिए सीनेट द्वारा किए गए उपबंधों के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति दी जा सकती है।

(2) सीनेट द्वारा अनुमोदित उपबंधों के अध्यधीन, अनुपस्थिति की अनुमति से वित्तीय सहायता का नुकसान हो सकता है, परंतु यह अध्ययन के कार्यक्रम के लिए सीनेट द्वारा अनुमोदित न्यूनतम उपस्थिति की अपेक्षा के उल्लंघन में नहीं होगी।

(3) अनुमति के बिना विहित अवधि से अधिक अनुपस्थिति का परिणाम छात्र का अध्ययन कार्यक्रम से निष्कासन होगा, इसके अतिरिक्त ऐसी अनुपस्थिति की पूरी अवधि या उसके किसी भाग के लिए, सीनेट द्वारा यथा अधिकथित, वित्तीय सहायता, यदि कोई हो, की हानि भी होगी, परंतु ऐसी अनुपस्थिति का कारण बताने के लिए छात्र को युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो।

(4) वास्तविक कारणों से, छात्रों या अध्येताओं को किसी कार्यक्रम से अस्थायी रूप से वापसी की अनुमति दी जा सकती है, जो साधारणतया अवकाश के साथ या बिना अवकाश के दो सेमेस्टर से अधिक नहीं होगी और संस्थान ऐसे छात्रों से परिनियम में विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करने पर उनके कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए 'निरंतरता की की अनुमति दे सकता है।

(5) अध्ययन के दौरान वित्तीय सहायता का लाभ लेने वाले छात्र या अध्येता संस्थान और उसके वित्तपोषण अभिकरण के उपबंधों का पालन करेंगे।

10. शैक्षणिक अपेक्षाएँ.- (1) सीनेट,संस्थान या उसके केंद्रों में अध्ययन के सभी अनुमोदित शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम रेसीडेंसी अवधि विहित करेगी।

(2) एक सेमेस्टर या त्रैमासिक (त्रिमेस्टर) की रेसीडेंसी अवधि शैक्षणिक दिशानिर्देशों के अनुसार एक सेमेस्टर के दौरान

पाठ्यक्रम या शोध के सामान्य या विहित लोड के रजिस्ट्रीकरण की रेसीडेंसी अवधि के बराबर होगी।

(3) सभी अनुमोदित शैक्षणिक कार्यक्रम शैक्षणिक क्रेडिट आधारित होंगे और संबंधित कार्यक्रम को शासित करने वाले शैक्षणिक दिशानिर्देश कार्य या शोध कार्य या दोनों के माध्यम से स्नातक की अपेक्षा पूरी करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट की अपेक्षा को निर्धारित करेंगे।

(4) यदि ऐसा कहा जाता है कि सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, तो सीनेट अपूर्णता वाले पाठ्यक्रमों सहित, पाठ्यक्रमों की संरचना विहित करेगी और डॉक्टरेट कार्यक्रम के लिए शोध सारांश के अनुमोदन तथा व्यापक परीक्षा की पूर्णता की अपेक्षा होगी।

(5) किसी कार्यक्रम में प्रवेश दिए गए किसी छात्र को, संस्थान में या अन्यत्र किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए,प्रत्येक मामले के गुणागुण के आधार पर उचित समझे गए अनुसार, सीनेट द्वारा विहित शैक्षणिक अपेक्षाओं से छूट दी जा सकती है।

11. शिक्षण एवं मूल्यांकन- (1)प्रत्येक कार्यक्रम में अलग-अलग पाठ्यक्रम शामिल होंगे और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा, जब तक कि सीनेट द्वारा अन्यथा अनुमोदित न हो और आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर, संस्थान केवल स्नातक उपाधि कार्यक्रम के प्रथम वर्ष के छात्रों के एक समूह के लिए द्विभाषी शिक्षण का माध्यम प्रस्तुत कर सकता है।

(2) प्रत्येक कार्यक्रम या पाठ्यक्रम को, उसके क्रेडिट के साथ, सीनेट के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

(3) प्रत्येक अनुमोदित पाठ्यक्रम, जब भी प्रस्तुत किया जाए,समनुदेशित प्रभारी शिक्षक द्वारा अपेक्षित संख्या में सह-संकाय सदस्यों या प्रशिक्षकों या अनुशिक्षककी सहायता से संचालित किया जाएगा और प्रभारी शिक्षक पाठ्यक्रम के संचालन,परीक्षाएं आयोजित करने, छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और सेमेस्टर के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) किसी भी सेमेस्टर या त्रैमासिक (त्रिमेस्टर) के दौरान किसी विभाग द्वारा संचालित सभीपाठ्यक्रमों कीसूची कोसंबंधित विभागाध्यक्ष या स्कूल या केंद्र के प्रधान द्वारा सभी नियत अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए,सेमेस्टर या त्रैमासिक (त्रिमेस्टर) की शुरुआत से पहले अंतिम रूप दिया जाएगा।

(5) संचालित किए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष या स्कूल या केंद्र के प्रधान द्वारा प्रभारी शिक्षक, सह-संकाय सदस्यों, संकाय प्रभारी और अनुशिक्षक को अधिसूचित किया जाएगा।

(6) पाठ्यक्रमों में रजिस्ट्रीकृत छात्रों और अध्येताओं का अंतिम सेमेस्टर या अंतिम सत्र परीक्षा के अलावा रचनात्मक रीति से लगातार मूल्यांकन किया जाएगा जैसा कि विनियमों में वर्णित और सीनेट द्वारा अनुमोदित है।

(7) ऐसे छात्र जो वास्तविक कारणों से किसी भी परीक्षा में बैठने में असफल रहते हैं, उन्हें सीनेट द्वारा विहित प्रक्रियाओं के अनुसार छूटी हुई परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।

(8) पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक छात्र को सीनेट द्वारा अनुमोदित विनियमों के अनुरूप संबंधित प्रभारी शिक्षक द्वारा एक लेटर ग्रेड प्रदान किया जाएगा।

(9) शिक्षक प्रभारी द्वारा एक बार दिए गए लेटर ग्रेड को तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक कि प्रभारी शिक्षक या पाठ्यक्रम के अन्य अनुदेशकों या अनुशिक्षकों द्वारा ग्रेड में परिवर्तन के अनुरोध को संस्थान के निदेशक द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। ग्रेड में परिवर्तन के लिए अनुरोध परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा और ग्रेड में परिवर्तन की सिफारिश करने के कारणों के साथ न्यायोचित ठहराया जाएगा और ऐसे सभी मामलों को सीनेट को सूचित किया जाएगा।

(10) किसी भी सेमेस्टर या त्रैमासिक (त्रिमेस्टर) में शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन संबंधित शैक्षणिक विनियमों में अधिकथित और समय- समय पर सीनेट द्वाराअनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।

12. परियोजना और शोध प्रबंध मूल्यांकनः राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान-कुंडली, हरियाणा के प्रमाण पत्र या डिप्लोमा कार्यक्रम को छोड़कर प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम में एक परियोजना और शोध प्रबंध का उपबंध होगा और परियोजना या शोध प्रबंध का मूल्यांकन समय-समय पर सीनेट द्वारा अनुमोदित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

13. छात्र आचरण और अनुशासन.- (1) प्रत्येक छात्र संस्थान के परिसर के भीतर और बाहर दोनों जगह अच्छा आचरण बनाए रखेगा।

(2) किसी भी छात्र से ऐसी किसी क्रियाकलाप में संलिप्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती है जिससे संस्थान की छवि खराब हो।

(3) प्रत्येक छात्र संस्थान के शिक्षकों, प्रशासकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति उचित सम्मान और शिष्टाचार दिखाएगा;और सहपाठियों के साथ मित्रतापूर्ण सदव्यवहार बनाए रखेगा और उन्हें परिसर के आगंतुकों और निवासियों के प्रति भी उचित ध्यान

देना चाहिए और शिष्टाचार का पालन करना चाहिए ।

(4) सीनेट संस्थान के छात्रों के लिए आचार संहिता विहित करेगी और आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन के लिए आचार संहिता के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

(5) रैगिंग या लैंगिक उत्पीड़न या दोनों, किसी भी रूप में, पूर्णतया निषिद्ध होंगे और किसी भी उल्लंघन को गंभीर अपराध के रूप में माना जाएगा, जिसका परिणाम संस्थान से बर्खास्तगी हो सकती है।

(6) सीनेट रिपोर्ट किए गए कथित दुष्कर्म की जांच के लिए एक स्थायी समिति का गठन करेगी और उचित कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है।

(7) सीनेट, इस समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई के लिए प्रक्रिया भी विहित करेगी।

(8) किसी छात्र या छात्रों के समूह द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन को किसी भी छात्र, शिक्षक, निदेशक या संस्थान के किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा समिति को भेजा जा सकता है।

14. उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र, आदि प्रदान करना- (1) छात्र को संबंधित उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए विहित संख्या में क्रेडिट पूरे करने होंगे।

(2) किसी छात्र को उपाधि अपेक्षाओं को पूरा करने वाला माना जाएगा, यदि छात्र ने-

क) सभी विहित क्रेडिट अर्जित किए हों;

ख) न्यूनतम अपेक्षित ग्रेड अंक या क्रेडिट प्राप्त किया हो;

ग) न्यूनतम शैक्षणिक और रेजीडेंस अपेक्षाओं को पूरा किया हो;

घ) संबंधित विभाग द्वारा निर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं, यदि कोई हो, को पूरा किया हो;

ड.) सीनेट द्वारा विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूरा किया हो।

(3) उप-अध्यादेश (1) के अधीन अपेक्षा के अतिरिक्त छात्र को संस्थान को सभी बकाया चुकाने होंगे और अनुशासनात्मक कार्यवाही का कोई लंबन नहीं होगा।

(4) ऐसे छात्र, जिसने संबंधित उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है, को सीनेट द्वारा आगामी दीक्षांत समारोह में उचित उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए शासी बोर्ड को अनुशंसित किया जाएगा।

(5) कोई उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र केवल सीनेट द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ही प्रदान किया जा सकता है; परंतु संस्थान के निदेशक के अनुमोदन से अनंतिम प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है।

(6) अत्यंत आपवादिक परिस्थितियों में, जहां उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करने की अपेक्षाओं के घोर उल्लंघन होने का पता पश्चातवत प्रक्रम पर लगे, तो सीनेट प्रदान की गई उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र वापस लेने के लिए शासी बोर्ड को सिफारिश कर सकती है।

15. अध्ययन बोर्ड.- (1) विभाग या स्कूल या केंद्र के शैक्षणिक प्रयासों को चालू रखने और पुनर्विलोकन करने के लिए अध्ययन बोर्ड के सृजन का प्रस्ताव विभाग और स्कूल कर सकते हैं।

(2) अध्ययन बोर्ड के पास शिक्षण विभागों या स्कूलों के विभिन्न कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों की अन्तर्वस्तु तैयार करने या पुनरीक्षित करने या अद्यतन करने और उसे अनुमोदन करने के लिए सीनेट को प्रस्तुत करने की शक्ति होगी और इसके अलावा, अध्ययन बोर्ड नियमित रूप से चल रहे शैक्षणिक कार्यक्रम की निगरानी और पुनर्विलोकन करेगा।

(3) अध्ययन बोर्ड का गठन विभाग द्वारा किया जाएगा और पदेन सदस्यों से भिन्न अध्ययन बोर्ड केएक सदस्य का कार्यकाल प्रारंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(4) अध्ययन बोर्ड की बैठकें वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी।

(5) संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) पूर्व स्नातक अध्ययन या स्कूल का प्रधान होगा और पूर्वस्नातक अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(6) अध्ययन बोर्ड की संरचना निम्नानुसार होगी, अर्थात्:-

(क) विभाग या स्कूल या केंद्र के प्रधान; अध्यक्ष

(ख) विभाग या स्कूल या केंद्र के सभी आचार्य,विभाग या स्कूल या केंद्र से सह और सहायक आचार्य - यदि उपलब्ध हों तो चक्रानुक्रम से दो-दो; सदस्य

(ग) प्रतिष्ठित शैक्षणिक या शोध संगठन से न्यूनतम दो और अधिकतम चार बाहरी विषय विशेषज्ञ; सदस्य

(घ) खाद्य उद्योग से न्यूनतम दो और अधिकतम चार बाहरी विषय विशेषज्ञ; सदस्य

(ङ) उपर्युक्त सदस्यों के अलावा, एक वरिष्ठ पूर्व छात्र, (अधिमानतः उद्योग से) और उक्त कार्यक्रम के विद्यमान बैचों से एक छात्र प्रतिनिधि को अध्ययन बोर्ड द्वारा, इसके अध्यधीन कि पूर्व छात्र सदस्यों के पास संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो,सहयोजित किया जा सकता है।

(7) अध्ययन बोर्ड के बाहरी सदस्यों को, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो,विभागाध्यक्ष या स्कूल या केंद्र के प्रधान, पूर्वस्नातक अध्ययन बोर्ड की सिफारिश पर निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा और अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड की अनुपस्थिति में अध्ययन बोर्ड के वरिष्ठ सदस्यों में से एक सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(8) अध्ययन बोर्ड, अध्ययन बोर्ड की किसी विशिष्ट बैठक की आवश्यकता के अनुसार,निदेशक के पूर्व अनुमोदन से किसी विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञों को अध्ययन बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित या आमंत्रित कर सकता है।

16. किसी भी प्रस्ताव और ऑनलाइन बैठक के विकल्प का परिचालन.- जहां संस्थान के शैक्षणिक मामलों पर समितियों या बोर्डों जैसे निकायों द्वारा कार्रवाई की जानी है, वहां अत्यावश्यकता की दशा में अध्यक्ष या प्रधान या निदेशक प्रस्ताव परिचालन द्वारा सदस्यों की राय ले सकते हैं।

परंतु उस पर की गई कार्रवाई के साथ राय को अध्ययन बोर्ड के सभी सदस्यों और सीनेट को संसूचित किया जाएगा और ये सभी निकाय,की गई कार्रवाई की पुष्टि करने के लिए वास्तविक रूप से या आभासी रूप से बैठक कर सकते हैं।

डॉ. हरिन्दर सिंह ओबरॉय, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./364/2024-25]

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT,

NOTIFICATION

Haryana, the 1st August, 2024

F. No I-11018/1/2023-ID.—In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 26 of the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management-Kundli Act, 2021 (19 of 2021), the Senate hereby makes the following Ordinances, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These Ordinances maybe called the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management-Kundli, Haryana Academic Ordinances, 2024.

(2) They shall come into force on the date of the publication in the Official Gazette.

2. Definitions. -(1) In these Ordinances, unless the context otherwise requires,-

(a) “academic” means activities concerned with teaching and research;

(b) “Act” means the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management-Kundli Act, 2021(19 of 2021);

(c) “approved” means a course approved by the appropriate body using the guidelines provided by the Senate;

(d) “calendar” means dates for various academic activities;

(e) “centre” means unit engaged in specified research activities;

(f) “comprehensive” means written or oral evaluation or both of a Ph.D. student to assess preparation for starting research work, a requirement for admittance to Ph.D. candidate;

(g) “course” means a sequence of topics which can be covered during a Semester;

(h) “credit” means approved weight of a course which is based on the total effort expected of a student;

(i) “curriculum of a programme” means a specified set of courses and other academic activities;

(j) “department” comprises a group of academic staff pursuing similar academic interests;

(k) “end-semester” means examination conducted at the end of a semester during the specified dates;

(l) “interdisciplinary programme” means an academic programme involving more than one department or school or centre;

(m) “mid-semester” means examination conducted during the semester;

(n) “missed exam” means a student who is not able to appear in the scheduled examination;

(o) “programme” means sequence of academic activities leading to a degree or diploma;

(p) “registration” means enrolment of the courses or research that a student wants to pursue during a semester as required by the programme of the student;

(q) “session” means two regular semesters along with a summer-term; and

(r) “Student” means a bona-fide student on the rolls of the Institute.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Academic programme.- (1) The Academic degree and diploma programme shall be as per the following, namely.-

(i) focus on the advancement of learning and dissemination of knowledge in the area of food science and technology, business management, allied sciences and entrepreneurship;

(ii) each academic department shall be required to run at least one academic programme and inter-disciplinary programme which may be proposed by the schools and centers, as per the provisions of the Act and the Statutes andeach academic programme offered by the Institute under these ordinances shall be as per the specific programme laid down by the Senate from time to time;

(iii) the Senate, after examining each proposal for revisions of an existing programme or introduction of a new programme on the basis of its viability and desirability as per the Act and Statutes, shall make suitable recommendations to the Board of Governors of the Institute for approval;

*(iv)*each specific programme shall specify the admission procedure, permissible intake, eligibility criteria or any other suitable details for each academic programme of the Institute;

*(v)*curriculum of each programme at the Institute shall require prior approval of the Senate and any change in the approved curriculum of any existing programme shall require prior approval of the Senate;

*(vi)*the Senate shall approve the format of each degree or diploma or certificate to be awarded to a student after successful completion of the programme and any revision in the format of a degree or diploma or certificate shall be made after approval of the Senate;

*(vii)*conferring an honorary doctoral degree or degree honoris causa of the Institute shall be in accordance with the guidelines of the Institute governing doctoral degree.

4. Admission.- (1) The admission to every approved course or programme of study at the Institute shall be based on merit, assessed through transparent and reasonable criteria, as approved by the Senate, looking into the scope and nature of the respective course or programme and the Institute shall disclose the same through a prospectus or admission brochure, prior to the commencement of the process of admission every year and unless otherwise necessary, a national level entrance examination shall be the criteria for admissions at the Institute.

(2)In addition to the merit as specified above, a group-discussions or personal-interview or both, may be held along-with the merit, as may be decided by the Senate.

(3) The number of students to be admitted to any approved programme of the Institute shall be as decided by the Senate from time to time in light of the projections about the requirement of such human resource and the resources ensured by the Institute and the Institute shall follow the reservations policy of the Government.

(4) The admission requirements and procedures for all categories of students shall be as laid down by the Senate.

(5) Every student, admitted provisionally or otherwise to any programme of the Institute, shall submit copies of the qualifying degree or diploma or provisional certificate and such other documents as specified by the Senate, physically or digitally, for due verification, by the stipulated date.

(6) The admission, provisional or otherwise, of any student who either does not submit the required documents by the aforesaid date or fails to meet any other stipulated requirement for admission, may be cancelled by the Senate.

(7)The Institute shall be mandated to strive to raise funds for being self-sufficient and sustainable.

(8) It shall be the responsibility of the Institute to ensure that the admission to an academic programme takes place as per the sanctioned intake and the seats reserved for the underprivileged sections of the society as per the provisions of these ordinances.

(9) The admission of a student may also be cancelled by the Senate, at any later time, if it is found that the student has furnished some false information or has suppressed some relevant information while seeking admission.

5**.** Bachelor's Degree programme.-(1) The admission to the Bachelor Degree programme, shall be made once in a year.

(2) The number of Foreign Nationals or Non-Resident Indians or Persons of Indian Origin to be admitted to the Bachelor Degree programme shall be fixed as per the provisions laid down in the programme.

(3) In Bachelor Degree programme, students shall be admitted only to the first year of the programme but the Senate may make provisions for lateral entries with multi-entry and multi-exit options.

(4) If a student leaves the programme mid-way without completing it, he shall not be entitled to receive a pass certificate or any other appropriate award.

(5) All the Bachelor Degree programme, except dual degree programme and integrated programme shall be of four years duration.

(6) The Senate may permit a limited number of students to change their programme of study as per the availability of the seats or interest of such students or academic progress of the student.

(7) The students in Bachelor Degree programme shall be eligible on the basis of merit for an Integrated dual Degree programme or a double-major or additional minor degree as per the provisions which shall be laid down by the Senate.

6.Post-Graduate programme.-(1) the eligibility requirements and frequency of admission to Post-Graduate programme and Doctoral degree programme including Post-Graduate diploma or Post Graduate certificate courses and executive master degree programme, shall be decided by the Senate; provided the executive master degree programme shall cater to the training needs of the working professionals.

(2) The candidates studying in the final year of their qualifying degree may be considered for provisional admission to post-graduate programme; provided they satisfy all other requirements laid down by the Senate.

(3) The departments, schools or centres, offering the Post-Graduate programme may stipulate additional requirements over and above the minimum admission requirements stipulated by the Senate for admission to Post-Graduate programme.

7. Academic calendar.- (1) The academic calendar shall be the schedule of academic activities pertaining to 'academic courses' and 'programmes of study' for an academic session.

(2) The academic calendar for an academic programme in an academic session shall consist of any of the following systems, namely:-

(a) in each academic year, there shall be two semester including summer term or mid-term after break or both, in semester system and a regular semester;

(b) in semester system there shall be two regular semesters and an optional summer-term apart from mid-semester breaks, if any, in an academic year and each regular semester shall normally consist of about nineteen weeks including examination period;

(c) in trimester system there shall be three regular terms and an optional summer-term apart from mid-term breaks, if any, in an academic year and each regular trimester term shall normally consist of about thirteen working weeks including examination period;

(d) the exact dates for the important academic events scheduled during the academic session shall be specified in the academic calendar; and

(e) the academic calendar, or any change therein during the session, shall be approved by the Director of the Institute.

8. Registration.- (1) The Senate shall lay down the procedures for registration of students and the same shall be the academic regulation pertaining to each of the programme of study at the Institute, separately, which shall be made available on the website of the Institute and the registration shall comprise of the following, namely:-

(a) before the commencement of each semester or trimester, every student, unless otherwise exempted by the Senate, shall register for the certified courses to be studied during that semester on the registration date as specified in the academic calendar;

(b) fees for every semester or trimester shall be a pre-requisite for the registration for which the Institute shall notify the mode of such payments well in advance and any outstanding dues shall be paid before registration.

(2) For bonafide reasons, students may be permitted to register late in a semester or trimester on the date so specified in the academic calendar on payment of late fee.

(3) The registration of any student may be cancelled or changed during the semester or trimester, partly or wholly, according to the norms laid down by the Senate.

(4) A letter grade shall be awarded in a course to a student only if the student is duly registered in the course at the time of the award of the letter grade as specified by the Senate.

9. Leave of absence.- (1) Absence during the studies shall be discouraged for all the registered students; provided for bonafide reasons, a student may be granted leave of absence as per provisions made by the Senate.

(2) Leave of absence may cause loss of financial assistance, subject to the provisions approved by the Senate, but shall not contravene to the minimum attendance requirement approved by the Senate for the programme of study.

(3) Absence without permission beyond specified duration may result in termination of the student, from the academic programme, in addition to loss of financial assistance, if any, for the entire period of such absence or part thereof, as laid down by the Senate; provided the students shall be given a reasonable opportunity to explain such absence.

(4) For bonafide reasons, students or scholars may be allowed for temporary withdrawal from a programme ordinarily not exceeding two semesters with or without break and the Institute may allow for continuation of programme on payment of such fee as specified in Statutes.

(5) The students or scholars availing financial assistance during the study shall abide by the provisions of Institute and the funding agency.

10. Academic requirements.-(1) The Senate shall specify the minimum residency period for all the approved academic programmes of study at the Institute or its centres.

(2) The residency period of one semester or trimester shall be equivalent to that of registration of a normal or specified load of courses or research during one semester as per academic guidelines.

(3) All approved academic programmes shall be on academic credit basis and the academic guidelines governing the respective programme shall specify the requirement of minimum credits through coursework or research work or both for meeting the graduation requirements.

(4)The Senate shall specify the structure of courses, including deficiency courses, if so stated to be successfully completed for all the academic programmes and the Doctoral programme shall require the approval of research synopsis and completion of comprehensive examination.

(5) A student, admitted to any programme, may be granted relaxation by the Senate from the prescribed academic requirements, in view of the work done in the Institute or elsewhere, as considered appropriate on the merit of each case.

11. Teaching and evaluation.-(1) Each programme shall comprise of the different courses and the medium of instruction shall be in English, unless otherwise approved by the Senate, and shall on the basis of a need assessment, the Institute may offer bilingual teaching for a group of students of the first year Bachelor Degree programme only.

(2) Each programme or course, along with its credits, shall be approved by the Senate.

(3) Each approved course, whenever offered, shall be conducted by the assigned teacher-in-charge with the assistance of the required number of co-faculty members or instructors or tutors and the teacher-in-charge shall be responsible for conducting the course, holding the examinations, evaluating the performance of the students and awarding the grades at the end of the semester.

(4) The list of all courses to be offered by a department, during any semester or trimester, shall be finalised, before the beginning of the semester or trimester, by the concerned Head of the Department or school or centre, taking into consideration all the stipulated requirements.

(5) The teacher-in-charge, co-faculty members, faculty in charge and tutors for all the courses to be offered, during any semester or trimester shall be notified by the concerned head of Department or school or centre.

(6) Students or scholars registered in courses shall be continuously evaluated in a formative manner in addition to end semester or end term examination as detailed in the guidelines and approved by the Senate.

(7) Students who fails to appear in any examination, due to bonafide reasons, may be permitted to appear in the missed exam as per the procedures laid down by the Senate.

(8) Each student, registered for a course, shall be awarded a letter grade by the concerned teacher-in-charge in line with the guidelines approved by the Senate.

(9) A letter grade once awarded by the teacher-in-charge shall not be changed unless the request for change of grade, either by the teacher-in-charge or by other instructors or tutors of the course, is approved by the Director of the institute and a request for change of grade shall be made within two weeks of the declaration of the result and shall be justified with reasons for recommending the change of grade and all such cases shall be reported to the Senate.

(10) The academic performance evaluation in any semester or trimester shall be done as per the procedure laid down in the respective academic guidelines as approved by the Senate from time to time.

12. Project and thesis evaluation.-Every academic programme of National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management-Kundli, Haryana except certificate or diploma programme shall have a provision of a project and thesis and the evaluation of the project or thesis shall be carried out as per the provisions approved by the Senate from time to time.

13. Conduct and discipline of students.- (1) Each student shall maintain good conduct, both within and outside the campus of the Institute.

(2) No student shall indulge in any activity which tends to bring down the image of the Institute. (3) Each student shall show due respect and courtesy to the teachers, administrators, officers and employees of the Institute; and maintain good neighbourly behavior with fellow students and they should also pay due attention and courtesy to the visitors and residents of the campus.

(4) The Senate shall specify the code of conduct for the students of the Institute and any violation of the code of conduct shall be dealt as per the provisions of the code of conduct.

(5)Ragging or sexual harassment or both, in any form, shall be strictly prohibited and any violation shall be treated as serious offence, which may lead to dismissal from the Institute.

(6) The Senate shall constitute a standing committee to investigate the alleged misdemeanor reported and may recommend a suitable course of action.

(7) The Senate shall also specify the procedure for dealing with the recommendations of the committee.

(8)Any violation of the code of conduct by a student or a group of students may be referred to the committee by any student, teacher, director or any other functionary of the institute.

14. Award of degrees or diplomas or certificates, etc.- (1) A student has to complete specified number of credits for the award of the respective degree or diploma or certificate.

(2) A student shall be deemed to have completed the degree requirements if the student has,-

(a) earned all the specified credits;

(b) attained the minimum required grade point or credits;

(c) satisfied the minimum academic and residence requirements;

(d) satisfied all the requirements specified by the concerned department, if any;

(e) satisfied all the requirements specified by the Senate.

(3) In addition to the requirement sunder sub-ordinance (1), the student shall clear all the dues to the institute and shall have no pendency of disciplinary proceeding.

(4) A student, who has completed all the requirements, the award of the respective degree or diploma or certificate shall be recommended by the Senate to the Board of Governors for the award of appropriate degree or diploma or certificate in the ensuing convocation.

(5) A degree or diploma or certificate may be awarded only after the Senate has approved such award; provided a provisional certificate may be issued with the approval of the Director of the institute.

(6) Under extremely exceptional circumstances, where gross violation of the requirements for the award of degree or diploma or certificates detected at any later stage, the Senate may recommend to the Board of Governors to withdraw the degree or diploma or certificate, already awarded.

15. Board of Studies.- (1) The departments and schools may propose the creation of Board of Studies in order to run and review the academic endeavors of the department or school or centre.

(2) The Board of Studies shall have a power to prepare or revise or update a content of different programmes or courses of teaching departments or schools and submit to the Senate for approval and in addition, the Board of Studies shall regularly monitor and review the ongoing academic programme.

(3) The Board of Studies shall be constituted by the department and the tenure of a member of the Board of Studies other than ex-officio members shall be initially for a period of three years.

(4) The meetings of the Board of Studies shall be arranged at least once in a year.

(5) The Dean (Academic) shall be the Head of Undergraduate Studies or school and shall be the Chairperson of Under Graduate Board of Studies.

(6)The composition of the Board of Studies shall be the following, namely:-

(a) the Head of the Department or School or Centre; Chairman

(b) all Professors in the department or school or centre, Associate and Assistant Professors from the department or school or centre – two each by rotation, if available; members

(c) minimum two and maximum four external subject experts from academic or research organisation of the repute; members

(d) minimum two and maximum four external subject experts from Food industry; members

(e) in addition to the above members, One Senior Alumni, (preferably from industry) and one student representative from the existing batches of the said programme may be co-opted by the Board of Studies, subject to that the Alumni Members shall have a minimum of five years' experience in the relevant field.

(7)The external members of the Board of Studies, unless otherwise mentioned, shall be nominated by the Director on the recommendation of the Head of the department or school or centre or Chairman, Under Graduate Board of Studies and in the absence of the Chairman Board of Studies one of the senior members of the Board of Studies shall act as Chairman.

(8)The Board of Studies may co-opt or invite experts in a particular field, as per the need for a particular meeting of the Board of Studies, as a member of Board of Studies, with prior approval of the Director.

16. Circulation of proposal and online meeting option.- Where the academic affairs of the Institute are to be dealt by the bodies like committees or boards, in case of exigency, the Chairman or Head or Director may seek the opinion of the members on the proposal by circulation:

Provided that the opinion together with the action taken thereon shall be communicated to all the members of Board of Studies and to the Senate and all these bodies may meet either physically or virtually to confirm the action taken.

Dr. HARINDER SINGH OBEROI, Director

[ADVT. -III/4/Exty./364/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.08.12 11:23:36 +05'30'